मुझे कहाँ से मदद मिल सकती है?

1. हम नहीं चाहते कि आपको लगे कि आप अकेले हैं और आपकी कोई भी मदद नहीं करना चाहता। हम सब आप के साथ हैं।

2. आपके माता पिता आपकी मदद करने के लिए हैं। कृपया ऐसा मत सोचिये कि आप अपने माता पिता पर बोझ हैं। अगर आपकी रैगिंग हो रही हैं तो उनसे स्वतंत्र रूप से खुलकर बात करो, वह आपकी बात जरूर समझेंगे।

3. हम रैगिंग की रोकथाम के कार्यक्रम में आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप हमें कभी भी किसी भी समय 1800 180 5522 नम्बर पर फ़ोन कर सकते हैं। यह एक नि:शुल्क फोन है। आप हमे helpline@antiragging.in पर एक ई मेल भी भेज सकते हैं।

4. आपका कॉलेज प्रशासन आपकी मदद करने के लिए है - कृपया मदद के लिए पूछने में संकोच नहीं करे। निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगी। स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन भी आपकी मदद करने के लिए है।

5. कोई भी किसी भी रैगिंग की घटना की शिकायत कर सकता हैं। यह जरुरी नहीं है की केवल शिकार ही शिकायत कर सकता हे। अगर आप कोई भी रैगिंग की घटना देखे तो उसकी सूचना कॉल सेंटर को करें। ऐसा करना आपका कर्तव्य हैं।

6. आप भी रैगिंग की शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं - बिना नाम बताऐ। आपको इस विकल्प से बचना चाहिए क्योंकी विवरण जाने बिना हमें किसी भी तरह की कार्रवाई करने में मुश्किल हो जाती हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका विवरण गोपनीय रखा जायेगा।

7. अपनी शिकायत की जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं एंटी रैगिंग पोर्टल: www.antiragging.in